संख्या–1/3/96–का–4–2008

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांकः 17 मई ,2008

विषयः–सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 15 मई, 2008 के स्थानान्तरण सत्र की अवधि में, स्थानान्तरण किये जाने हेतु सक्षम स्तर से संबंधित प्रस्तर–9 को संशोधित किये जाने संबंधी, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णय से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः–

अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्तः–

(1) स्थानान्तरण सत्र की अवधि में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सक्षम स्तर निम्नवत् होगाः–

क.सं.	पद नाम	सक्षम स्तर
1.	विभागाध्यक्ष तथा समकक्ष स्तर के अधिकारी	मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी
2.	संयुक्त निदेशक एवं उच्च स्तर के अधिकारी	मा. विभागीय मंत्री जी
3.	संयुक्त निदेशक से निम्न समूह 'क' के अधिकारी	मा. विभागीय मंत्री जी
4.	समूह 'ख' के अधिकारी	मा. विभागीय मंत्री जी
5.	समूह 'ख' से निम्न स्तर के कार्मिक	कार्यालयाध्यक्ष

2. स्थानान्तरण नीति के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे ।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सचिव

संख्या–1/3/96(1)–का–4–2008, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण ।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/मंत्रिमण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा. मुख्य मंत्री जी ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(एस.एन.प्रसाद)
विशेष सचिव